"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण)

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 248 ] रायपुर, सोमवार, दिनांक 19 जून 2017 — ज्येष्ठ 29, शक 1939

### कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 19 जून 2017

### अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-74/2011/ज. नि./42. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ औद्योगिक प्रशिक्षण (राजपत्रित) सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2013 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

### संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,-

अनुसूची-दो के टीप के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"टीप :- प्राचार्य द्वितीय श्रेणी, प्लेसमेंट अधिकारी एवं सहायक संचालक प्रशिक्षण (तकनीकी) से 50% पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों में से 25% पदों को, उन प्रशिक्षण अधीक्षकों से भरा जायेगा, जिसके पास इंजीनियरिंग उपाधि है, एवं शेष 75% पदों को, इंजीनियरिंग उपाधि/डिप्लोमा/सीटीएस धारी प्रशिक्षण अधीक्षकों की वरिष्ठता सूची के अनुसार वरिष्ठता के आधार पर भरा जायेगा."

No. F 1-74/2011/MPP/42. — In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, The Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Industrial Training (Gazetted) Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2013, namely :-

### AMENDMENT

In Schedule of the said rules,-

For Note of Schedule-II, the following shall be substituted, namely :-

"Note :- 25% post out of 50% posts of Principal Class-II, Placement Officer and Assistant Director Training (Technical) to be filled by promotion, shall be filled from those Training Superintendent, who have Engineering Degree and remaining 75% posts shall be filled on seniority basis as per Gradation list of Training Superintendent having Engineering degree/diploma/CTS holders."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**नीलकंठ टीकाम**, संयुक्त सचिव.



संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.